

फर्द अहकाम


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

प्रार्थी केशव विपक्षी 20/11/20
 किस्म मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 130/20 सन्

क्रमांक कार्यवाही विवरण हस्तासूचन

24.4.25
 पत्रावली चेक हुई। वादी उपस्थिति प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति प्रतिवादी द्वारा वाद खातिज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अंतलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता दिनांक 25.7.24 को मो-उन्सुब्रह्मन प्लीट किया गया। वादी अधिवक्ता को सूचना हेतु नोटिस प्रेषित किया गया जो "Addressee could be located" अंक के साथ प्राप्त हुआ। न्यायालय द्वारा वादी को नोट-वाउचर अर्द्धवार आबोजें लगावई गई। बावजूद उल्लेख उपस्थिति नहीं हुआ जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति जंभीर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अडम हान्सी-अडम फेरी में खातिज किया जाता है। निर्गम ले इजलास लुगाया गया। प्रकरण फैसल शुभार. होरा नमर से कम हो।


 (सुमन कुमारी)
 IAS